

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

स्थान सरकार जरिए पटवारी

हल्का - झाक प्रथम

बनाम श्री अली पुत्र श्री छीतर

प्रकरण संख्या 218/2019

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट

जाति - मेरात निवासी - रावलाबाडिया

-:निर्णय:-

दिनांक :-29.08.2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का झाक प्रथम द्वारा सम्वत 2076 ग्राम रावलाबाडिया की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 309 कुल रकबा 929 बीघा किस्म भूमि चरागाह में से रकबा 91 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री अली पुत्र श्री छीतर जाति - मेरात निवासी- रावलाबाडिया द्वारा नाजायज ज्वार काशत लगाकर लिए जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्रकरण भू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 29.08.2019 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिकर्मी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री अली पुत्र श्री छीतर जाति - मेरात निवासी- रावलाबाडिया को सिवायचक भूमि ग्राम रावलाबाडिया के खसरा नम्बर 309 कुल रकबा 929 किस्म भूमि चरागाह में से रकबा 91 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काशत के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किए जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.30 को पचास गुणा 15 रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/ अन्य को जब्त कर सरकार निलाम किया जावे आदेश की पालना भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नियर्ण आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया

वर्ष 2019-20 के रा.ले. 4 रजिस्टर के पृष्ठ सं. पर उ. 15 की मांग कायम की गई।

(प्रभात त्रिपाठी)
तहसीलदार
जिला अजमेर

अ. व. ले. विनयनन्द